न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट बलदेवगढ)

वाद संख्या :– 03 / 47 / 2013

1. ओमप्रकाश पुत्र खेमचन्द जाति बैरवा निवासी बलदेवगढ तहसील राजगढ़ जरिये मुख्तार आम गिरधारीलाल पुत्र दीपाराम बैरवा निवासी ग्राम थानाराजाजी तहसील राजगढ़ – प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब राजगढ – अप्रार्थी

धारा 136 एल.आर. एक्ट

दिनांक 31.05.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट बलदेवगढ पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट का इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि गत खसरा नम्बर 18 मिन रकबा 15 बीघा वाके ग्राम बलदेवगढ तहसील राजगढ में है जो प्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 17.08.1968 को आवंटन की गई व प्रार्थी को गैरखातेदार अंकित किया गया। उक्त आराजी बाबत् उपजिलाधीश राजगढ के आदेश दिनांक 20.06.1981 के द्वारा मुझ प्रार्थी को नामान्तकरण संख्या 449 से खातेदार दर्ज किया गया। उस समय प्रार्थी बालिग हो गया था इसलिए कागजात माल से प्रार्थी की माता कलावती की सरपरस्ती का इन्द्राज भी हटा दिया गया। जमाबन्दी सम्वत 2036 के खाना नम्बर 17 में इन्तकाल नम्बर 449 किस्म खातेदारी का सुखी से इन्द्राज मौजूद है। सम्वत 2046 में बन्दोबस्त हुआ जिसके दौरान प्रार्थी को गत खसरा नम्बर 18 से तैयार किए गए हाल खसरा नम्बर 69 / 2114 पर खातेदार के स्थान पर गैरखातेदार दर्ज कर दिया व प्रार्थी की सरपरस्ती भी दर्ज कर दी गई जो खिलाफ मौका व कानून है। प्रार्थी नौकरी के कारण बाहर रहता है इसलिए उक्त प्रकरण की पैरवी बाबत् मुझ गिरधारी लाल को दिनांक 29.04.2006 को मुख्तार खास नियुक्त किया है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर हाल खसरा नम्बर 69 / 2114 / 3.79 वाके ग्राम बलदेवगढ का साबिक के अनुसार खातेदार अंकित किया जाने व प्रार्थी की माता की सरपरस्ती को हजफ करने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार राजगढ द्वारा प्रकरण में जवाब पेश कर निवेदन किया कि जरिये इन्तकाल संख्या 449 के द्वारा बन्दोबस्त सम्वत 2046 से पूर्व आवंटी को खातेदार घोषित किया जा चुका है तथा साबिक खसरा नम्बर 18 मिन रकबा 15 बीघा से हाल खसरा नम्बर 69 / 2114 / 3.79 बना है। आवंटी को साबिक खसरा नम्बर 18 मिन आवंटित हुआ था। आराजी काबिल काश्त नहीं है। आराजी पर कौन काबिज है साबित नहीं है। आराजी मौके पर पडत है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज नामान्तरकरण संख्या 449 जमाबन्दी सम्वत 2061–64, 2037 व मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2046 जो पेश किए हैं का अवलोकन किया। मुताबिक नामान्तरकरण संख्या 2049 के अंकित इन्द्राज के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 18 मिन रकबा 15 बीघा वाके ग्राम बलदेवगढ से प्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र खेमचन्द के नाम गैरखातेदार से खातेदारी दर्ज होना साबित है। उक्त नामान्तरकरण का नोट जमाबन्दी सम्वत 2037 में अंकित है तथा ओमप्रकाश पुत्र खेमचन्द सरपरस्ती माता कलावती साबिक खसरा नम्बर 18 मिन रकबा 15 बीघा का खातेदार अंकित है तथा मुताबिक मिलान क्षेत्रफल 2046 के साबिक खसरा नम्बर 18 मिन रकबा 15 बीघा से हाल खसरा नम्बर 69 / 2174 रकबा 3.79 बनना साबित है। उक्त तथ्यों की पुष्टि पटवारी हल्का व तहसीलदार राजगढ द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड से व रिकॉर्ड तहसीलदार से यह तथ्य प्रार्थी साबित है कि प्रार्थी साबिक खसरा नम्बर 18 मिन रकबा 15 बीघा का इन्तकाल संख्या 449 से गैर खातेदार से खातेदार दर्ज हो गया था इसका अमल जमाबन्दी सम्वत 2037 में भी हो गया था परन्तु बन्दोबस्त सम्वत 2046 द्वारा जो उक्त साबिक नम्बर से हाल नम्बर 69 / 2114 रकबा 3.79 है. बनाया है तथा मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2061–64 की खाता संख्या 483 पर उक्त हाल खसरा नम्बर 69 / 2114 रकबा 3.79 का

ओमप्रकाश पुत्र खेमचन्द नाबालिग सरपरस्त मु. कलावती माता खुद गैर खातेदार दर्ज है जो इन्द्राज इन्तकाल संख्या 449 के विपरीत है जबकि इन्तकाल संख्या 449 के अनुसार उक्त जमाबन्दी में इन्द्राज दर्ज होना चाहिए था जो काबिल दुरस्ती है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना प्रस्तुत दस्तावेजात से व रिपोर्ट पटवारी व तहसीलदार राजगढ के अनुसार काबिल स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 69/2114 रकबा 3.79 है. वाके ग्राम बलदेवगढ तहसील राजगढ स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार राजगढ को हाल रिकॉर्ड जमाबन्दी में नामान्तरकरण संख्या 449 वाके ग्राम बलदेवगढ के अनुसार इन्द्राज खातेदारी दुरूस्त करने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार राजगढ को पालना हेतु लिखा जावे। निर्णय आज दिनांक 31.05.2018 कैम्प कोर्ट बलदेवगढ पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट बलदेवगढ)